आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर

सेवा अपील वाद सं0–196/2022
श्री रामाशीष कुमार
बनाम
राज्य सरकार एवं अन्य

आदेश

अनुसूची 14–फारम सं0–563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
06.02.2023	माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वाराCWJCसंख्या–1350/2021में दिनांक–17.01.2022को दिये गये आदेश के आलोक में श्री रामाशीष कुमार,तत्कालीन नाजीर सह प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, घोड़ासहनद्वारायह अपील दायर की गयी है। 2.जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त मूल अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह मामला श्री रामाशीष कुमार, तत्कालीन नाजीर–सह–प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, घोड़ासहन पर लगाये गयेआरोप पर लिये गये निर्णय से संबंधित है। 3 अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंचलाधिकारी, घोड़ासहन के पत्रांक 16 दिनांक 12.01.2016 द्वारा सूचित किया गया था कि श्री रामाशीष कुमार तत्कालिन नाजीर–सह–प्रधान लिपिक को श्री राजकिशोर दास एवं अन्य पाँच व्यक्तियों के साथ अंचल कार्यालय में कागजातों के साथ छेड़–छाड़ करते हुए पकड़ा गया। कागजातों के साथ छेड़–छाड़ करने के आरोप में श्री कुमार एवं अन्य छः व्यक्तियों पर अंचलाधिकारी, घोड़ासहन द्वारा थाना में आई0पी0सी0 की धारा–447/467/468/471/ 472/406/409/420 एव 120 बी0, 34 के तहत प्राथमिकी सं0–0273/2015 दर्ज करायी गयी। प्राथमिकी के आधार पर श्री रामाशीष कुमार को दिनांक 02.08.2015 को गिरफ्तार कर कारानिरूद्ध किया गया। उन्हें कारानिरूद्ध की अवधि दिनांक 02.08.2015 से दिनांक 06.12.2015 तक निलंबित किया गया। जमानत पर मुक्त होने के बाद श्री कुमार द्वारा दिनांक 07.12.2015 को घोड़ासहन अंचल में योगदान दिया गया। श्री कुमार का योगदान स्वीकृत करते हुए दिनांक 08.12.2015 के प्रभाव से पुनः निलंबित करते हुए उनका मुख्यालय फेनहारा अंचल निर्धारित किया गया। साथ ही प्रपत्र ''क'' में आरोप पत्र गठित करते हुए अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी	

WEB COPY NOT OFFICIAL

को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, घोड़ासहन को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक–20 दिनांक–02.02.2018 के द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन भेजा गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध आरोपित बिन्दुओं को सत्यापित नहीं पाये जाने तथा आरोप संख्या–1 एवं 2 के संबंध में दर्ज प्राथमिकी संख्या–273/2015 लंबित रहने के कारण माननीय न्यायालय के न्यायादेश के फलाफल पर अग्रेतर कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश के आलोक में विभागीय कार्यवाही में प्राप्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य पर समीक्षोपरान्त असहमत होते हुए पुनः विभागीय कार्यवाही को संचालित करने हेतु प्रभारी अपर समाहर्त्ता (विभागीय जाँच), पूर्वी चम्पारण को संचालन पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी, घोड़ासहन को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आरोप पत्र में गठित आरोप निम्न हैः–

1. दिनांक–02.08.2015 को रविवारीय अवकाश होने के बावजूद श्री कुमार के द्वारा अंचल कार्यालय खोला गया एवं अपने साथ छः अन्य ग्रामीणों को भी कार्यालय मे प्रवेश कराया गया। अंचलाधिकारी, घोड़ासहन द्वारा कार्यालय मे संधारित–बी0पी0पी0एच0टी0 पंजी ग्रामीणों के हाथ में पायी गयी। यह पंजी श्री कुमार के प्रभार में है। अंचलाधिकारी द्वारा पंजी के अवलोकन से स्पष्ट हुआ कि इस पंजी में कई स्थानो पर अंकित प्रविष्टि को कलम से काटा गया है। श्री कुमार का यह कृत्य सरकारी कागजात से छेड़छाड़ करने एवं उसमें अंकित प्रविष्टि को साजिश पूर्वक, धोखाधड़ी के इरादों से विनष्ट करने का स्पष्ट प्रमाण है।
2. दिनांक–02.08.2015 को श्री कुमार के साथ अनधिकृत रूप से अंचल कार्यालय मे उपस्थित ग्रामीण श्री राजकिशोर दास एवं श्री जयमंगल राय के घर की तालाशी अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना (ढाका) द्वारा की गयी। तलाशी के क्रम में श्री कुमार के प्रभार से संबंधित अंचल कार्यालय के दस्तावेज इनलोगों के घर से बरामद हुए। इससे स्पष्ट है कि उक्त तिथि को अंचल में उपस्थित ग्रामीणों के साथ उनकी संलिप्तता है एवं उनके द्वारा इनलोगों के साथ मिलकर अंचल कागजातों के साथ छेड़छाड़ की जाती है। श्री कुमार का यह कृत्य जालसाज प्रवृत्ति एवं नैतिक विहीनता का ज्वलंत उदाहरण है।
3. अंचल निरीक्षक, घोड़ासहन द्वारा बनाये गये रिटर्न तथा नाजीर रसीद के अनुसार वित्तीय वर्ष–2014–15 की कुल राजस्व वसूली

WEBCOPY NOT OFFICIAL

मो0—15,21,169=00रूपये है। परन्तु उनके द्वारा मात्र 11,87,328=00रूपये ही चालान द्वारा कोषागार में जमा किया गया है। अवशेष राशि मो0—3,33,841=00रूपये को जमा करने हेतु घोड़ासहन अंचल के ज्ञापांक—1038 दिनांक—10.12.2015 तथा ज्ञापांक—1068 दिनांक—23.12.2015 द्वाराउनको स्मारित भी किया गया है। परन्तु उनके स्तर से इस संबंध में न तो कोई जबाव दिया गया और न ही राशि जमा करने के संबंध मे कोई कार्रवाई की गयी। श्री कुमार का यह कृत्य वित्तीय अनियमितता, गबन, मनमाने ढंग से कार्य करने की प्रवृति एवं कार्यालय प्रधान के निदेशों की अवहेलना का स्पष्ट प्रमाण है।

साथ ही निम्न न्यायालय के आदेश में यह भी अंकित है कि उपरोक्त कंडिका—03 मे ंवर्णित राजस्व की अवशेष राशि—3,33,841=00रूपये एवं वित्तीय वर्ष 2015—16 में प्राप्त राशि—3,16,517=00रूपये उनके द्वारा कोषागार मे ंजमा नही की गयी है। राशि जमा नहीं करने के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बताया गया कि इस पैसे का व्यय आर0टी0पी0एस0 कार्य में किया गया है। नियमानुसार राजस्व मद मे ंप्राप्त राशि को प्राप्ति के दूसरे दिन कोषागार मे ंजमा करना है। इस राशि का विचलन नहीं करने का भी सरकार द्वारा निदेश निर्गत है।श्री कुमार द्वारा राजस्व मद की राशि का बिना सक्षम आदेश के अन्य मदों में विचलन करना उदण्ड एवं मनमाने ढंग से कार्य करने की प्रवृति को परिलक्षित करता है।

श्री कुमार का उपरोक्त कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली—1976 के नियम—3 (1) (I) (II)एवं (III)के प्रतिकूल है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा अपने मन्तव्य के साथ आरोप सं0—01, 02 एवं 04 को प्रमाणित किया गया है। प्रमाणित आरोप के आधार पर जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी ने अपने आदेश ज्ञापांक—08 दिनांक—16.01.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील)/संशोधन नियमावली—2007 के नियम—14 के (XI)मेंनिहित प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री रामाशीष कुमार, नाजीर—सह—प्रधान लिपिक, तत्कालीन अंचल कार्यालय, घोड़ासहन तथा वर्तमान अंचल कार्यालय, हरसिद्वि को सेवा से बर्खास्तगी के साथ भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता का दंड अधिरोपित करते हुए गबन की संपूर्ण राशि को वसूलने का आदेश पारित किया गया है।

4जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 08 दिनांक 16.01.2022 के विरूद्व श्री रामाशीष कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय,पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 1350/2021 दायर किया गया जिसमें दिनांक 17.01.2022 को आदेश पारित किया गया है, जिसका अंश निम्न है—

“ The present petition is pre-mature since the petitioner has not exhausted the statutory remedy of appeal before the Appellate

WEB COPY NOT OFFICIAL

	*Authority. In the light of the Apex Court decision contained in**State of Jammu and Kashmir V/s. R.K.Zalpuri and others**reported in**AIR 2016 SC 3006 paragraph-20**, the present petition is pre-mature and accordingly the present petition stands disposed of reserving liberty to the petitioner to prefer and appeal before the Appellate Authority within a period of eight weeks from the date of receipt of this order.* *On receipt of such appeal, the Appellate Authority is hereby directed to take note of Section 14 of the Limitation Act in condonation of the delay in presenting the appeal and decide the petitioner's appeal within a period of four months from the date of receipt of this order."* 5 माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी0डब्लू0जे0सी0 सं0 1350/2021 में दिनांक–17.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में परिवादी श्री कुमार द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपील दायर किया गया है। 6.अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि अपीलार्थी अंचलाधिकारी के मौखिक निदेशानुसार लंबित कार्यो के निष्पादन हेतु दिनांक–02.08.2015 को कार्यालय खोलकर अपने कार्यो का निर्वहन कर रहे थे। अंचलाधिकारी एवं उनका सुरक्षा गार्ड भी कार्यालय मे मौजूद थें। कुछ ग्रामीणों द्वारा वित्तीय वर्ष–1992–93 से वर्ष–2003–04 में बी0पी0पी0एच0टी0 पंजी मे कटिंग की जानकारी माँग रहे थें, जो उनके प्रभार के पूर्व का था। अंचलाधिकारी द्वारा अपीलकर्ता के पास उपलब्ध कलम एवं ग्रामीणों के पास उपलब्ध स्याही से कटिंग वाली स्याही का मिलान किया तो मिलान नही हो सका। अपीलकर्ता द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रभार के समय ही उक्त बातों से अंचलाधिकारी को उनके (अपीलकर्ता) द्वारा अवगत कराया गया। प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया था कि किसी भी परिस्थिति में आर0टी0पी0एस0 का कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए। उक्त आदेश के आलोक में राजस्व से वसूली की गयी राशि आर0टी0पी0एस0 कार्यों में खर्च की गयी। आर0टी0पी0एस0 मद में प्राप्त आवंटन से उक्त राशि का समायोजन किया जाना था, परन्तु अंचलाधिकारी द्वारा विपत्रों को अपीलकर्ता से लेकर किसी अन्य कर्मी को प्रभार मे दे दिया, जिससे राशि का समायोजन नही हो सका। अंचलाधिकारी के आदेश से अन्य राशि चालक के पारिश्रमिक, गाड़ी, ईंधन, अग्निकांड आदि में खर्च किया गया। आगे अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि अंचलाधिकारी द्वारा उन्हें बकाया रहित प्रमाण पत्र भी निर्गत किया गया है। एक बार संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि अपीलकर्त्ता पर कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है। पुनः दूसरी बार	

WEB COPY NOT OFFICIAL

संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित होने का प्रतिवेदन जिलाधिकारी के दबाव में दिया गया, जो गलत है एवं विधि के प्रतिकूल है।

7. वहीं सुनवाई के दौरान विद्वान सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि अपीलकर्ता द्वारा बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के रविवार के दिन कार्यालय खोला जाना, संबंधित मद की राशि का पैसा अन्य मद में खर्च कर देना उनके गलत मंशा को परिलक्षित करता है। जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी ने अपीलकर्ता के विरुद्ध सभी वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपना आदेश पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है।

8. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने, एवं उनके द्वारा सुनवाई के समय रखे गये सभी तथ्यों एवं संपूर्ण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्टहै किः–

(i) बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के अवकाश की तिथियों में कार्यालय को खोला जाना सर्वथा नियम विरुद्ध था, इसके संबंध में अंचलाधिकारी द्वारा या किसी वरीय पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार का आदेश निर्गत नहीं था। वो भी कार्यालय में अकेले आरोपी कर्मी हीं कार्यालय में थे, और कोई भी पदाधिकारी या कर्मी नहीं थे।जहॉ तक कार्यालय के सुरक्षा कर्मी की उपस्थिति की बात है तो उनको तो 24X7 कार्यालय में ड्यूटी करना है, इसलिए उनके (सुरक्षा कर्मी) वहां होने को आधार नहीं माना जा सकता है। अब जहां तक बात अपीलकर्ता के इस दावे का प्रश्न है कि बी0पी0पी.एच0टी0 पंजी जो ग्रामीणों के हाथ में पाई गई तो इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता नाजीर–सह–प्रधान लिपिक थे तो उन्हे इस बात की जानकारी होनी चाहिए थी की उक्त पंजी किसके प्रभार में थे इस बात का उल्लेख भी उनके द्वारा कहीं नही किया गया है, जिससे यह साबित होता है कि वे गैर जिम्मेवार व्यक्ति हैं एवं अपने पदीय दायित्व के निर्वहन मे उनसे गंभीर चूक हुई है।

(ii) अवकाश के दिन में बिना किसी वरीय पदाधिकारी की अनुमति के राजकीय अवकाश (रविवार) को किस परिस्थिति में एवं कौन से लंबित कार्य करने आये थे, इस संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा नहीं बताया गया है।रविवार के दिन कार्यालय खोला जाना एवं कार्यालय के बाहर के व्यक्तियों को महत्वपूर्ण अभिलेख का प्रदर्शन कराना यह परिलक्षित करता है कि अपीलार्थी द्वारा सुनियोजित तरीके से अवकाश के दिन में अन्यथा मंशा के तहत गोपनीय दस्तावेजों के साथ छेड़–छाड़ कर रहे थे। उक्त तथ्य को इस बात से और भी बल मिलता है कि उन व्यक्तियों को यह कैसे पता चला कि आज अवकाश के दिन में कार्यालय खुला हुआ है, जिसके फलस्वरुप वे उस कार्यालय में आ गये एवं कार्यालय के अंदर प्रवेश कर पाये। सभी तथ्यों के समीक्षा के पश्चात यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा षडयंत्र के तहत भ्रष्ट आचरण का प्रदर्शन

WEB COPY NOT OFFICIAL

करते हुए अवकाश के दिन में बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के कार्यालय खोलकर नियम विरुद्ध कार्य का निष्पादन के नाम पर कार्यालय अभिलेखों की छेड़–छाड़ कर रहे थे।

(iii) अपीलार्थी द्वारा सरकारी राजस्व को कोषागार में जमा करने के स्थान पर उक्त राशि का व्यय किया जाना बिहार वित्त नियमावली के नियम 6 के प्रावधानों के विरुद्ध है। यहां यह स्पष्ट है कि उपबंध के बिना किसी भी राशि का व्यय बिना वित्त विभाग के अनुमति के नहीं किया जा सकता। इसमें यह तथ्य भी महत्वपूर्ण है कि किसी भी सरकारी राजस्व को कोषागार में जमा कराना आवश्यक है। प्राप्त राजस्व का विचलन या किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जा सकता।

निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी द्वारा प्राप्त राजस्व से अन्य मद में बिना किसी स्वीकृति या अनुमति के व्यय कर दिया गया है, जो उनके द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता का स्पष्ट रुप से द्योतक है एवं उनका यह कृत्य बिहार कोषागार संहितर 2011 के नियम 32 का स्पष्ट रुप से उल्लंघन है। साथ ही राशि के समायोजन के संबंध में सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिला पदाधिकारी, पूर्वी चंपारण के जिस पत्र का हवाला दिया गया है कि उक्त पत्र में यह कहीं वर्णित नहीं है कि आर0टी0पी0एस0 काउन्टर प्रभावित नहीं हो इसलिए किसी दूसरे मद की राशि से जेनरेटर का संचालन कराया जाय। अपितु उस पत्र में यह वर्णित है कि '' *आर0टी0पी0एस0 काउन्टर हेतु जेनरेटर के खराब होने अथवा अन्य अपरिहार्य कारणवश बंद होने की स्थिति में अपने कार्यालय में राजस्व विभाग या अन्य श्रोत से उपलब्ध जेनरेटर से आर0टी0पी0एस0 के कार्यों का निष्पादन कराना सुनिश्चित करेंगे। जिसमें इंधन की आपूर्ति अपने कार्यालय में उपलब्ध आर0टी0पी0एस0 की आकस्मिकता मद से करेंगे।*'' यहां पूर्व से कार्यालय में चालू जेनरेटर का प्रयोग की बात है, इंधन हेतु किस मद से करना है, का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख है।यदि जेनरेटर मद में राशि उपलब्ध नहीं थी तो उनके (अपीलकर्ता) द्वारा आवंटन की मांग करने हेतु संचिका प्रस्तुत करने का भी कोई साक्ष्य अभिलेख में उपलब्ध नहीं हैं,जो स्पष्ट रुप से अपीलकर्ता के गलत मंशा को परिलक्षित करता है।

(iv) अन्य आरोपों के संबंध में भी यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उन्ही तथ्यो का दुहराव किया गया है जो संचालन के द्वारा प्रथम बार के विभागीय कार्यवाही से आरोप मुक्त किये जाने एवं पुनः संचालित विभागीय कार्यवाही में समाहर्त्ता के दबाव में आरोप को प्रमाणित पाये जाने का उल्लेख अपील में किया गया है,जिसके संबंध में उनके द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि समाहर्त्ता द्वारा संचालन पदाधिकारी पर दबाव बनाये जाने का ऐसा कौन सा साक्ष्य/प्रमाण उनके पास उपलब्ध है, जबकि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील),

WEB COPY NOT OFFICIAL

	नियमावली, 2005 के नियम, 18 में संचालन पदाधिकारी के अभिमत से असहमत होने अथवा संचालन पदाधिकारी के स्तर पर किसी प्रकार के त्रुटि परिलक्षित होने पर अनुशासनिक प्राधिकार को पुनः जॉच करवाने का अधिकार प्राप्त है एवं नियमसंगत है। उक्त वर्णित तथ्यों के समीक्षोपरांत अपीलकर्त्ता के विरुद्ध निम्न न्यायालय (समाहर्ता) के द्वारा आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोप की तुलना में संसूचित शास्ति उचित है एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो के अनुसार सूनवाई का पूरा मौका देने के बाद मुखर आदेश पारित है। अतएवनिम्न न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं पाते हुए प्रस्तुत अपीलवाद को खारिज किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL